फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत---जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

सरस्वती बनाम शिवलहरी आदि

किस्म मुकदमा– प्रा0 पत्र धारा अंतर्गत 13(2) न0पा0 **अधिनियम** नम्बर 01/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.1.2021	मूल पत्रावली नियत तारीख से तलब की जाकर पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 73 क, 327 नगर पालिका अधिनियम बाबत प्रार्थना पत्र विड्रो किये जाने एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 बाबत मृतक सरस्वती के उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित किये जाने हेतु मय प्रार्थना पत्र धारा 5 संशोधित कॉज टाईटल व प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 09 पेश किया है। नकल अधिवक्ता अप्रार्थी को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 बाबत मृतक सरस्वती के उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित किये जाने हेतु मय प्रार्थना पत्र धारा 5 संशोधित कॉज टाईटल व प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 09 के संबंध में उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 सी0पी0सी0 व प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 09 स्वीकार किये जाने में अनापत्ति जाहिर की है। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 सी0पी0सी0 व प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 09 स्वीकार किये जाते है। मृतक सरस्वती देवी के स्थान पर उसके वारिसान संख्या 01/01 से 01/07 के नाम प्रतिस्थापित किये जाते है। प्रार्थी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके द्वारा न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 73 क, 327 नगरपालिका अधिनियम का विड्रो किये जाने हेतु निवेदन किया है एवं कथन किया है कि पक्षकारान के मध्य दीवानी न्यायालय में राजीनामा हो गया है व राजीनामा पेश कर दिया गया है। प्रार्थीगण आगे उक्त प्रकरण को चलाना नहीं चाहते है। प्राथीगण ने प्रार्थना पत्र खारिज करवाने हेतु निवेदन किया है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 73 क, 327 नगरपालिका अधिनियम खारिज करने में अनापत्ति जाहिर की है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 73 क, 327 नगरपालिका अधिनियम नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	निस्तारित 01/21

जिला कलक्टर

दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official